न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/409

1. भगवानाराम पुत्र स्व0 भूराराम
2. रामदेव पुत्र स्व0 भूराराम
3. ईमरती देवी पत्नी स्व0 मालाराम
4. जब्बूराम पुत्र स्व0 मालाराम
5. माडूराम पुत्र स्व0 मालाराम
6. छीतरमल पुत्र स्व0 मालाराम
7. सुण्डाराम पुत्र स्व0 मालाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम त्यौंदा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. शिम्भुदयाल पुत्र स्व0 गुजरमल अग्रवाल,
2. सुनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. संतोष कुमार जाति महाजन निवासीगण ग्राम त्यौंदा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना राजस्थान हाल निवासी घोष पारा रोड, पी.ओ जगदल जिला नोर्थ 24 परगनां पश्चिमी बंगाल।
3. जयप्रकाश पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल,
4. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल,
5. विवेक अग्रवाल पुत्र स्व0 भजनाराम अग्रवाल जाति महाजन निवासी त्यौंदा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना हाल निवासी घोष पारा रोड, पी.ओ. जगदल जिला नोर्थ 24, परगना पश्चिमी बंगाल

   समस्त 1 ता 5 जरिये मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ग्राम त्यौदा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना राजस्थान।
6. तहसीलदार तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना अपील संख्या 05/2023 अपील उनवानी शिम्भुदयाल आदि बनाम तहसीलदार आदि जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 को निरस्त किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 27.01.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना हाल जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 01.07.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ग्राम त्यौदा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना राजस्थान ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी कि ग्राम पंचायत त्यौंदा के द्वारा दिनांक

28.04.1977 को जो नामांतरकरण संख्या 762 भरा गया है। नामान्तरकरण संख्या 762 सलाहकार समिति की मीटिंग दिनांक 29.12.1976 को रेस्पोडेन्ट नम्बरान 2 लगायत 4 के पिता स्व0 भूराराम के नाम भरा गया है, किन्तु नामान्तरकरण भरते समय पटवारी महोदय व सरपंच ने सलाहकार समिति की मिटिंग दिनांक 29.12.1976 के आदेश का अवलोकन किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 762 भरा गया है। सलाहकार समिति की मिटिंग दिनांक 29.12.1976 के आदेश के अनुसार उक्त भूराराम पुत्र झूथराम गुर्जर के पक्ष में भूमि पुराने खसरा नम्बर 727/2, 736/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा मौजा बाडलवास की भूमि का हुआ है जबकि पटवारी व सरपंच त्यौंदा ने बजाय बाडलवास की उक्त भूमि 727/2, 736/1 के स्थान पर वंडर मिस्टेक करते हुए ग्राम त्यौंदा की भूमि खसरा नंबर 727/2, 736/1 की ही भूमि को नामांतरकरण संख्या 762 के द्वारा उक्त भूराराम के नाम दर्ज कर दी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खतेडी ने अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत त्यौंदा के नामान्तरकरण संख्या 762 का आदेश दिनांक 28.04.1977 निरस्त किया जाकर तहसीलदार खेतडी को प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेशित किया गया कि वह पक्षकारान को सुनकर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप भू–आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण के संबंध में अपना निर्णय पारित करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2024 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी खतेडी, जिला नीमकाथाना हाल जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 01.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स भगवानाराम पुत्र स्व0 भूराराम वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला नीमकाथाना हाल जिला झुन्झुनूं दिनांक 01.07.2024 निरस्त किये जाने एवं नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार तथा बिना पक्षकारों के दस्तावेजों को देखे ही उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 01.07.2024 पारित किया है जो खिलाफ कानून तथा विरूद्ध रिकार्ड है। योग्य अधीनस्थ न्यायलय के द्वारा शुरू से ही उक्त पत्रावली के कानून के अनुसार कार्यवाही ना की जाकर अपनी मनमर्जी तथा खिलाफ कानून ही कार्य किया है, जिसकी ताईद योग्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से भी है, क्योंकि दिनांक 01.07.2024 का पत्रावली वास्ते रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के जवाब हेतु नियत थी तथा उक्त पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तामिल बाकी थी। दिनांक 01.07.2024 को अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह कथन किया गया था कि उक्त अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मालाराम पुत्र भूराराम की दिनांक 30.05.2024 को मृत्यु हो गई है जिस कारण से उसके वारिसों को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जिस पर अधिवक्ता को कहा गया कि आप आवेदन ले आओं अभी तक आदेशिका नही लिखी गई है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के द्वारा आवेदन वास्ते कायम मुकामी हेतु प्रस्तुत किया तो आवेदन लेने से इंकार कर दिया गया तथा यह कहा गया कि माननीय न्यायालय के द्वारा तो अपील का ही निस्तारण कर दिया गया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जा चुकी है। जबकि ना तो कोई बहस उक्त पत्रावली में सुनी गई और ना ही रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब देही ही की गई तथा ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार की समुचित तामिल ही उक्त पत्रावली में हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

9460516361

योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में राजस्व न्यायालयों द्वारा जारी दिशा निर्देशों की भी पालना नही की है क्योंकि कभी भी किसी प्रकरण में प्रकरण के निस्तारण से पूर्व धारा 5 के सबंध में निर्णय किया जाना अति आवश्यक है। उक्त निर्णय पारित करते समय योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो मेमो आफ अपील का ही अवलोकन किया तथा ना ही धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन का ही अवलोकन किया है क्योंकि उक्त नामान्तकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 को भरा गया है तथा अपील दिनांक 18.09.2023 को प्रस्तुत की गई है जिससे लगभग 46 वर्ष का विलम्ब है। उक्त विलम्ब को किस आधार पर माफ किया गया है ऐसा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई निस्तारण नही किया गया है और ना ही अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि उसे किस दिनांक को उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण की जानकारी हुई है ऐसे में उक्त निणर्य अपील के मियाद बाहर होने के कारण से भी निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस बात पर भी ध्यान नही दिया गया है कि पत्रावली जरिये मुख्तार पेश हुई है तथा उक्त मुख्तारनामा के बारे में कोई कथन मेमो आफ अपील में नही है। कानूनी रूप से निष्पादक का ज्ञान मुख्तार का ज्ञान माना जाता है जबकि ना तो मुख्तारनामा की प्रतिलिपी भी पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई है तथा ना ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय में यह कथन किया है कि अपील पेश करने हेतु कोई मुख्तारनामा पत्रावली पर पेश है। अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल कारित की है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा की अपीलार्थी के पक्ष में उक्त नामान्तकरण विरासत के आधार पर है तथा जिस रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया है उसकी तो दिनांक 30.05.2024 को ही मृत्यु हो चुकी है ऐसे मे कानूनी स्थिति के अनुसार कभी भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई फैसला नही किया जा सकता है, कानूनी रूप से भी उक्त पत्रावली जब बहस अपील हेतु नियत ही नही थी तथा दिनांक 01.07.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की मृत्यु हो चुकी है ऐसे में उक्त निर्णय विधि विरूद्ध है तथा किसी भी प्रकार से स्थिर रहने योग्य नही है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा कानूनी स्थिति का सही अवलोकन नहीं कर विवादित निर्णय पारित कर भारी भूल की है, उक्त अपील मियाद बाहर होने पर भी मियाद के बिन्दू का बिना निस्तारण किये ही उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है जो स्थिर रहने योग्य नही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भलीभांति स्पष्ट है कि पत्रावली ना तो बहस हेतु नियत थी तथा ना ही तहसीलदार की तामिल हुई है फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली में बिना अपीलान्ट को सुने ही उक्त चुनौतीग्रसत निर्णय पारित कर दिया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा योग्य अधीनस्थ के समक्ष मालाराम की मृत्यु दिनांक 30.05.2024 को हो जाने का कथन कर दिया जिसका भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन किये बिना कल्पना एवं अनुमान के आधार पर विवादित निर्णय पारित कर भारी भूल कारित की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट विरूद्व रेस्पोडेन्ट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2024 को अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 को यथावत रखने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खतेडी, जिला नीमकाथाना हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 ग्राम पंचायत त्यौंदा तहसील खेतडी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 727/2, 736/1 वाके ग्राम त्यौंदा जो भूराराम पुत्र झूथराम गुर्जर निवासी ग्राम त्यौंदा के पक्ष में भरा गया है को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना की पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पत्रावली दिनांक 01.07.2024 को वास्ते रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के जवाब हेतु नियत थी तथा उक्त पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तामिल बाकी थी के बावजूद आदेश जवाब लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया।

मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ग्राम त्यौदा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना द्वारा शिम्भूदयाल पुत्र स्व0. गुजरमल अग्रवाल वगै0 जाति महाजन निवासी त्यौंदा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना हाल निवासी घोष पारा रोड, पी.ओ. जगद्ल जिला नोर्थ 24, परगना (प.बंगाल) की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने ना तो धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और ना ही उक्त अपील अपीलार्थीगण स्वयं शिम्भूदयाल पुत्र स्व0. गुजरमल अग्रवाल वगै0 द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के संलग्न ऐसे कोई प्रमाणित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित व पीडित पक्षकार है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, विभिन्न उच्च न्यायालयों एवमं माननीय सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से यह कानूनी स्थिति स्पष्ट की गई है कि जो व्यक्ति किसी आदेश या डिक्री में पक्षकार नहीं है। वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये बिना पक्षकार नहीं बन सकता, ऐसी कमी के साथ प्रस्तुत अपील अयोग्य होती है। कानूनन जो व्यक्ति जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करता है और वह यदि उस आदेश में पक्षकार नहीं है तो उसे धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के तहत अपील प्रस्तुत करने का आवेदन पत्र पेश करना होता है। अपीलांट द्वारा इस तरह का कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण से प्रस्तुत अपील विधि द्वारा वर्जित थी और प्रथम दृष्टतया ही खारिज किये जाने योग्य थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 के विरूद्ध अपील 46 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गयी थी। मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर ने उक्त अपील मियाद बाहर होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किये बिना ही अपील स्वीकार की जाकर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

हमारा विनम्र मत है कि नामान्तकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सलाहकार समिति की मिटिंग दिनांक 29.12.1976 द्वारा भूराराम पुत्र झूथराम के नाम खसरा नम्बर 727/2, 736/1 रकबा 3.8 ग्राम मौजा बाडलवास की भूमि आवंटित की गयी थी। ग्राम पंचायत त्यौंदा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 को भरा गया था। ग्राम पंचायत त्यौंदा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 5 के मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा विवादित भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत त्यौंदा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी में चुनौती दी गई। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2024 के द्वारा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत त्यौंदा के नामान्तरकरण संख्या 762 का आदेश दिनांक 28.04.1977 निरस्त किया जाकर तहसीलदार खेतडी को प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेशित किया गया कि वह पक्षकारान को सुनकर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप भू–आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण के संबंध में अपना निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 के गुणावगुण पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। मात्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को कयास के आधार पर सही मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ग्राम त्यौदा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना द्वारा शिम्भूदयाल पुत्र स्व0. गुजरमल अग्रवाल वगै0 जाति महाजन निवासी त्यौंदा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना हाल निवासी घोष पारा रोड, पी.ओ. जगद्दल जिला नोर्थ 24, परगना (प.बंगाल) की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड/स्वामित्व/साक्ष्य सम्बन्धी कोई जांच नहीं की गयी है। मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर द्वारा अपनी प्रश्नगत नामान्तरकरण से सम्बन्धित कोई राजस्व रिकॉर्ड/स्वामित्व/साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, मात्र दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर के कथनों एवं दस्तावेजों को सही मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। यदि नामान्तरकरण में कोई संदेह अथवा कूटरचना जाहिर होती है तो अधीनस्थ न्यायालय को विस्तृत जॉच कर ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिये थी किन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में कोई विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उपरोक्त के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2024 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत त्यौंदा के नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 को यथावत रखा जाता है।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2024 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत त्यौंदा के नामान्तरकरण संख्या 762 दिनांक 28.04.1977 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर